

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी  
ग्रामीण विकास विभाग  
बिहार सरकार

पत्रांक: 896 /  
सं०सं०- BRDS/HR/116/2021

—: कार्यालय आदेश :-  
पटना, दिनांक 11/08/2024

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित निम्नलिखित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक का स्थानांतरण कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्तम्भ 6 में अंकित जिलों में किया जाता है :-

FINAL LIST OF TRANSFER FOR DISTRICT AUDIT MANAGER					
1	2	3	4	5	6
Sr. No	Employee HRMS ID	Name	Current District	Home District	Allotted District
1	101403	Govind Kumar	Vaishali	Muzaffarpur	Samastipur
2	101405	Sandeep Verma	Jehanabad	Gaya	Rohtas
3	101407	Niraj Singh	Siwan	Gopalganj	Saran
4	101409	Sameer Pandey	Gopalganj	Saran	Buxar
5	101411	Avinash Roy	Saran	Muzaffarpur	Madhepura
6	101416	Subhash Ranjan	Muzaffarpur	Samastipur	Madhubani
7	101418	Manish Kumar	Madhubani	W. Champaran	Siwan
8	101419	Barun Anand	Madhepura	Saharsa	Jehanabad
9	115344	Ravi Shankar	Bhagalpur	Lakhisarai	Gaya


FINAL LIST OF TRANSFER FOR DISTRICT FINANCE MANAGER					
1	2	3	4	5	6
Sr. No	Employee HRMS ID	Name	Current District	Home District	Allotted District
1	101394	Sunil Kumar	Samastipur	Madhubani	Darbhanga
2	101424	Anand Jha	Darbhanga	Madhubani	Samastipur
3	101425	Bhagirath Yadav	Sitamarhi	Madhubani	Sheohar
4	101426	Raj Singh	Gaya	Rohtas	Sitamarhi
5	101428	Ashish Kumar	Bhagalpur	Munger	Nalanda
6	101430	Atul Bharti	E Champaran	Sitamarhi	Bhagalpur
7	101432	Subodh Kumar	Sheohar	Sitamarhi	E Champaran
8	101433	Rakesh Ranjan	Nalanda	Patna	Gaya

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा तथा पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझे

जायेंगे।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक स्थानांतरित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक को दिनांक 17.08.2021 तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रतिस्थानी का बिना इंतजार किये विरमित करेंगे। विरमन प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा :-
  - I. जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक के कार्यालय में संधारित सभी पंजियों, योजना अभिलेखों एवं अन्य सभी अभिलेखों की सूची अद्यतन करवाना एवं तदोपरान्त प्रभार हस्तांतरण करवाना।
  - II. गैर बकाया प्रमाण-पत्र निर्गत करवाना।
  - III. संविदा के आधार पर हुई नियुक्ति से संबंधित सभी कागजात की मूलप्रति संधारित रखना तथा सत्यापित प्रति स्थानांतरित जिले को अभिलेख हेतु उपलब्ध करवाना।
3. स्थानांतरित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक अपने नव पदस्थापित जिले में दिनांक 18.08.2021 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रखण्ड में पदस्थापन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।
4. नव पदस्थापित जिलों में पदभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान पदस्थापित जिले के जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्गत विरमन आदेश आवश्यक होगा। वर्तमान पदस्थापित जिले के जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक विरमन आदेश निर्गत के पूर्व संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई/आरोप, यदि हो तो उनका निष्पादन अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे।
5. नव पदस्थापित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक के माह- अगस्त, 2021 के मानदेय आदि का भुगतान नव पदस्थापित जिला से किया जायेगा। विरमन की आखिरी तारीख से संबंधित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक का स्थानान्तरण नव पदस्थापित जिले में स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
6. नव पदस्थापित जिला के MIS पर Role Assignment के लिए पूर्व पदस्थापित जिला के जिला पदाधिकारी का विरमन आदेश एवं नव पदस्थापित जिला का पदस्थापन आदेश BRDS को उपलब्ध कराये जाने पर ही नये जिला में Role Assignment तथा मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, BRDS का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(सी0पी0 खण्डूजा)  
आयुक्त, मनरेगा

प्रतिलिपि : -

1. सभी संबंधित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी स्थानांतरित जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं जिला वित्त प्रबंधक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापन के जिलों में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्री सरोज कुमार, डायरेक्टर-ई0गवर्नेन्स एवं आई0टी0 को BRDS Website पर अपलोड करने एवं HRMS से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।